रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092026-275964
CG-DL-E-03092026-275964

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4683]	**नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 3, 2026/भाद्र 12, 1948**
No. 4683]	**NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2026/BHADRA 12, 1948**

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2026

का.आ. 4870(अ).— केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 46 की उप-धारा (2) के खंड (कक) और (कख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 में, अनुसूची I में, सारणी में, क्रम संख्या 15.2.4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 में, अनुसूची I में, सारणी में, क्रम संख्या 15.2.4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

"15.2.5	(क) एक ई-कॉमर्स अस्तित्व को प्रक्रिया पुस्तिका (एचबीपी) और विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियम, 2015 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति 2023 के उपबंधों के अनुसार अनन्य रूप से भारत में विनिर्मित या उत्पादित माल या उत्पादों के निर्यात के लिए ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री-आधारित मॉडल में कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। (ख) उपर्युक्त क्रम संख्या 15.2.1 से 15.2.4 तक के उपबंधों के अधीन निर्धारित कारोबार से उपभोक्ता (बी2सी) और ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री-आधारित मॉडल पर निर्बंधन, खंड (क) के अधीन यथा अनुमत ई-कॉमर्स के माध्यम से माल या उत्पादों के निर्यात पर लागू नहीं होंगे।"

[फा. सं. 1/4/2026-ईएम]

डॉ. आलोक तिवारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में, संख्यांक का.आ.3732 (अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधित किए गए थे: -

(i) का.आ. 4355 (अ), दिनांक 5 दिसंबर, 2019;

(ii) का.आ. 1278 (अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2020;

(iii) का.आ. 1374 (अ), दिनांक 27 अप्रैल, 2020;

(iv) का.आ. 2442 (अ), दिनांक 27 जुलाई, 2020;

(v) का.आ. 4441 (अ), दिनांक 8 दिसंबर, 2020;

(vi) का.आ. 3206 (अ), दिनांक 9 अगस्त, 2021;

(vii) का.आ. 3411 (अ), दिनांक 19 अगस्त, 2021;

(viii) का.आ. 4091 (अ), दिनांक 5 अक्टूबर, 2021;

(ix) का.आ. 4242 (अ), दिनांक 12 अक्टूबर, 2021;

(x) का.आ. 1802 (अ), दिनांक 12 अप्रैल, 2022;

(xi) का.आ. 332 (अ), दिनांक 24 जनवरी, 2024;

(xii) का.आ. 1361 (अ), दिनांक 14 मार्च, 2024;

(xiii) का.आ. 1722 (अ), दिनांक 16 अप्रैल, 2024;

(xiv) का.आ. 3492 (अ), दिनांक 16 अगस्त, 2024;

(xv) का.आ. 2549 (अ), दिनांक 11 जून, 2025;

(xvi) का.आ. 2174(अ), दिनांक 1 मई, 2026 और 2 मई, 2026 को प्रकाशित;

(xvii) का.आ. 2186(अ) दिनांक 2 मई 2026;

(xviii) का.आ. 3030 (अ) दिनांक 12 जून 2026;

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2026

S.O. 4870(E). — In exercise of the powers conferred by clauses (aa) and (ab) of sub-section (2) of section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, namely: —

1. (1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) (Fourth Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, in Schedule I, in the Table, after serial number 15.2.4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely: -

"15.2.5	(a) An e-commerce entity is permitted to engage in inventory-based model of e-commerce exclusively for the export of goods or products manufactured or produced in India in accordance with the provisions of the Foreign Trade Policy 2023 read with the Handbook of Procedures (HBP) and the Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) Regulations, 2015. (b) The restrictions on Business to Consumer(B2C) and the inventory-based model of e-commerce stipulated under the provisions from serial number 15.2.1 to 15.2.4 above, shall not apply to the export of goods or products through e-commerce as permitted under clause (a)."

[F.No. 1/4/2026-EM]

Dr. Alok Tiwari, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide number S.O.3732 (E), dated the 17th October, 2019 and subsequently amended vide notification numbers: -

(i) S.O. 4355 (E), dated the 5th December 2019;

(ii) S.O. 1278 (E), dated the 22nd April, 2020;

(iii) S.O. 1374 (E), dated the 27th April, 2020;

(iv) S.O. 2442 (E), dated the 27th July, 2020;

(v) S.O. 4441 (E), dated the 8th December, 2020;

(vi) S.O. 3206 (E), dated the 9th August, 2021;

(vii) S.O. 3411 (E), dated the 19th August, 2021;

(viii) S.O. 4091 (E), dated the 5th October 2021;

(ix) S.O. 4242 (E), dated the 12th October 2021;

(x) S.O. 1802 (E), dated 12th April 2022;

(xi) S.O. 332 (E), dated 24th January 2024;

(xii) S.O. 1361 (E), dated 14th March 2024;

(xiii) S.O. 1722 (E), dated 16th April 2024;

(xiv) S.O. 3492 (E), dated 16th August 2024;

(xv) S.O. 2549 (E), dated 11th June 2025;

(xvi) S.O. 2174(E), dated 1st May 2026 and published on 2nd May 2026;

(xvii) S.O. 2186(E) dated 2nd May 2026;

(xviii) S.O. 3030 (E) dated 12th June 2026;

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.09.03 17:44:03 +05'30'